

## कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण यूनिट (सीएमटी यूनिट)

### कार्य मर्दे

1. भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित मंत्रालय के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. कार्य संबंधी विनिर्देशन के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामांकित और प्रयोजित करना/श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के तहत अवर सचिव या समकक्ष पदों या उससे उच्च पदों का विवरण।
3. भारत में विविध संस्थानों में स्थित इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित श्रम और रोजगार मंत्रालय के समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
4. एलडीसी/यूडीसी/आशुलिपिक के लिए आयोजित विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. एनआईसी के साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
6. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/स्टाफ कार चालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
7. विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन करना।
8. आई एस टी एम, आईआईपीए आदि में श्रम और रोजगार मंत्रालय में/के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक रोस्टर तैयार करना और अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

अन्य सूचना

अनुभाग का नाम: कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण यूनिट

कमरा नं.: 116

दूरभाष संख्या: ऑटो  
23719305 : 2141  
23001141 :

चैनल के अधिकारी:

श्री ए. के. सरकार - अनुभाग  
अधिकारी

श्री एन. सी. आटिया - अवर  
सचिव

श्री यू. डी. एन. सिध्वानी - उप  
सचिव

श्री एस.के. श्रीवास्तव - संयुक्त  
सचिव

सचिव

[www.labour.gov.in](http://www.labour.gov.in)  
पर भी जाएँ

9. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण रूपरेखा(ओं) को तैयार करना।
10. सीएमटी यूनिट के लिए वार्षिक रिपोर्ट और बजट के लिए सामग्री तैयार करना।

\*\*\* \* \*